तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहलका... हुक्म की ... में जारी
	पेश करने जवाब प्रा०पत्र / बहस प्रा०पत्र दिनांक - 29/08/25 को पेश हो [signature]	
29/8/25	पत्रावली पेश। प्रा०पत्र 07R11 जा०दी० पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा०पत्र दिनांक 8/9/25 को पेश हो [signature]	
8/9/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5) ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर दौराने बहस कथन किया कि वादीनी ने तथाकथित इकरारनामा दिनांक 02.07.2004 के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा हेतु दावा पेश किया है। विवादित भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 है। इकरारनामें के आधार पर घोषणा के वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इकरारनामें के आधार पर संविदा की विशिष्ट अनुपालना व घोषणा के बाद का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को हैं वादीनी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज योग्या है। इन्होंने अपने वादपत्र में भूमियों बाबत इकरारनामा तो बताया है परन्तु प्रतिफल प्राप्त करना नहीं बताया है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। उक्त वाद का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थना प्रार्थीगण स्वीकार कर वाद वादीनी खारीज किया जावे। समर्थन विनर्णिय आर0आर0डी0 2019 पेज नम्बर 224, आर0आर0टी0 2009 पेज नम्बर 1425, आर0आर0डी0 2018 पेज नम्बर 115, आर0आर0डी0 2014 पेज नम्बर 499, आर0आर0डी0 2018 पेज नम्बर 337 पेश किए है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादीनी खारीज किया जावे।	[signature] उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

P.T.O.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वकील अप्रार्थीया (वादीनी) ने खण्डन में कथन किया कि विवादित भूमियों पर इकरारनामा निष्पादन के समय से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है। हमने अपने कब्जे की भूमियों पर खातेदारी की घोषणा दावा पेश किया है, जिसको सुने जाने का अधिकार न्यायालय को है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण खारीज किया जावे।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया। वादीनी द्वारा यह वाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि को बेचाननामा दिनांक 02.07.2004 से प्रतिवादी संख्या 5 ने वादीनी के पति को स्टाम्प पर बैचान किए जाने से उक्त बैचाननामें के आधार पर खातेदारी अधिकार व निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु पेश किया है। प्रस्तुत बैचाननामा अनरजिस्टर्ड है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 में यह मुख्यतः देखा जायेगा कि वाद विधि द्वारा वर्जित है या नहीं। वादीनी बैचाननामें के आधार पर दावा लेकर आयी है वह अनरजिस्टर्ड है।

प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विनिर्णयों का ससम्मान अवलोकन किया गया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 में जिन दशाओं में वादपत्र को नामंजूर किया जाता है उनमें एक यह भी है कि "वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है"। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद बैचाननामें से खरीद की गई भूमि पर खातेदारी घोषणा व निषेधाज्ञा प्राप्त करने का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के तहत विपरित कब्जे/अनरजिस्टर्ड बैचाननामे के आधार पर अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है व धारा 188 के अन्तर्गत केवल खातेदार ही किसी अन्य खातेदार/व्यक्तियों के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश कर सकता है। वादपत्र में अंकित तथ्यों अनुसार अनरजिस्टर्ड बैचाननामें के आधार पर वाद इस न्यायालय द्वारा सुना जाना विधि अनुरूप नहीं है। वादीनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से निष्पादित किए गए बैचाननामें के आधार पर उसकी पालना हेतु/अधिकारों की घोषणा हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही की जानी चाहिए। प्रकरण में वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रकरण में उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीनी इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने/विधि वर्जित होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 स्वीकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म की तामील में जारी
	किया जाकर वाद वादीनी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	